कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, बलरामपुर–रामानुजगंज (छ.ग.)

Phone No- 07831-273000 , Fax No- 273004 , Email id-collectorbalrampur@gmail.com

–::: आदेश :::–

बलरामपुर दिनांक : 04/01/2022

क्रमांक / 39 /कले./एस.डब्ल्यू./2022 ::: जिले में नोवल कोरोना वायरस (COVID-19) एवं नए वेरिएंट **(OMICRON)** के संक्रमण के दृष्टिगत इस महामारी को फैलने से रोकने के लिए सभी संभावित उपाय अमल में लाया जाना आवश्यक है। संक्रमण से बचाव हेतु जिला बलरामपुर–रामानुजगंज में स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–144 (1) घोषित किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं कुन्दन कुमार, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला बलरामपुर–रामानुजगंज दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा–144 (1) के तहत् प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण जिला बलरामपुर–रामानुजगंज में निम्नांकित प्रतिबंधात्मक आदेश पारित करता हूँ :–

1. जिला बलरामपुर–रामानुजगंज में स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु सभी जूलूसों, रैलियों, सभाओं, सार्वजनिक समारोहों, सामाजिक **(विवाह आयोजन एवं अंत्येष्टि कार्यक्रम को छोड़कर)**/सांस्कृतिक/धार्मिक/खेल आदि सामूहिक आयोजन आगामी आदेश पर्यन्त प्रतिबंधित रहेंगे।

2. जिले में समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान, मॉल, थोक विक्रेता प्रतिष्ठान, जिम, सिनेमा एवं थिएटर, होटल एवं रेस्तरों, स्वीमिंग पूल, ऑडिटोरियम , मैरिज पैलेस, इवेन्ट मैनेजमेंट क्लब आदि वास्तविक क्षमता के एक तिहाई उपस्थिति के साथ कोविड प्रोटोकॉल के पालन के अधीन संचालन की अनुमति होगी। यदि किसी आयोजन में 200 से अधिक व्यक्तियों की उपस्थिति की संभावना हो तो ऐसी स्थिति में संबंधित अनुभाग के अनुविभागीय दण्डाधिकारी से लिखित पूर्वानूमति अनिवार्य होगी।

3. यदि कोई व्यक्ति कोरोना वायरस (COVID-19) अथवा नए वेरिएंट **(OMICRON)** से संक्रमित है या किसी ऐसे व्यक्ति के सम्पर्क में है, जो संक्रमित हो सकता है तो यह अनिवार्य होगा कि ऐसे व्यक्ति द्वारा तत्काल सहयोग कर सारी जानकारी घोषित करे एवं सभी वांछित सहयोग निगरानी दल को देगा और निगरानी दल के द्वारा दिये गये मौखिक एवं लिखित निर्देशों का अक्षरशः पालन करना अनिवार्य होगा।

4. निगरानी जांच दल को ऐसा कोई भी व्यक्ति जो निवारण या ईलाज के इन उपयोग या सहयोग देने से मना करता है अथवा संबंधित जानकारी देने से इन्कार करता है या निगरानी दल के निर्देशों का पालन नही करता है, तो वह भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा–270 के दण्ड का भागी होगा।

5. सभी संचालित दुकानों में निःशुल्क वितरण अथवा विक्रय हेतु मास्क रखना तथा दुकान में कार्यरत कर्मचारियों एवं ग्राहकों के उपयोग हेतु सेनिटाईजर रखना अनिवार्य होगा। दुकान के बाहर ग्राहकों के मध्य दो गज की दूरी बनाये रखने के लिए गोल निशान बनाकर चिन्हांकित किया जाना अनिवार्य होगा। (COVID-19) अथवा नए वेरिएंट **(OMICRON)** के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु शासन द्वारा जारी किसी भी निर्देश का उल्लघंन किया जाता है तो वह भारतीय दण्ड संहिता 1860 (1860 का 45) की धारा – 188 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी के अंतर्गत आता है। अतः किसी व्यक्ति/संस्था/संगठन द्वारा शासन के निर्देशों का उल्लंघन नहीं किया जावेगा।

6. जिले में रेल से यात्रा करने वाले सभी यात्रियों के पास (दोनों टीकाकरण वाले व्यक्तियों को भी) यात्रा के 72 घंटे के भीतर का RTPCR निगेटिव रिपोर्ट होना अनिवार्य होगा। शर्त पूर्ण न करने वाले यात्रियों का अनिवार्य रूप से RTPCR टेस्ट कराया जावेगा।

7. जिले की सड़क सीमाओं पर और सभी बस स्टेशनों पर स्वास्थ्य विभाग की कोविड जांच दल द्वारा Random Testing किया जावे।

8. प्रत्येक व्यक्ति को घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों में निकलते समय मास्क/फेस कवर/फिजीकल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य किया जाता है।

9. **प्रत्येक शनिवार को पूर्णतः लॉकडाउन रखा जावेगा,** इस दौरान केवल अस्पताल, क्लिनिक, मेडिकल दुकान संचालन की ही अनुमति होगी।

जिला बलरामपुर–रामानुजगंज में कोरोना वायरस (COVID-19) के बढ़ते संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए कोरोना वायरस निगरानी, जांच, निरीक्षण दल द्वारा भौतिक परीक्षण, संगरोध और ईलाज से संबंधित अधिकारी/कर्मचारियों को यदि कोई भी व्यक्ति सहयोग देने से इन्कार करता है अथवा वांछित जानकारी देने से इन्कार करता है या निगरानी दल के निर्देशों का पालन नहीं करता है अथवा इस आदेश का उल्लंघन करता है तो वह व्यक्ति भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 270 सहपठित एपिडेमिक डिसिजेस एक्ट, 1897 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अधीन दण्ड का भागी होगा।

उक्त आदेश का व्यापक प्रचार–प्रसार तथा कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे।

(कुन्दन कुमार)
कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला बलरामपुर–रामानुजगंज,(छ.ग.)

बलरामपुर दिनांक :04/01/2022

पृ.क्रमांक/ 40 /कले./एस.डब्ल्यू./2022

प्रतिलिपि :–

1– अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, गृह विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित्।
2– अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित्।
3– सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित्।
4– आयुक्त, सरगुजा संभाग, अम्बिकापुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित्।
5– पुलिस अधीक्षक, बलरामपुर–रामानुजगंज, छ0ग0 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित्।
6– मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बलरामपुर (नोडल अधिकारी) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7– सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी जिला बलरामपुर–रामानुजगंज(छ0ग0) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित्।
8– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला बलरामपुर–रामानुजगंज,(छ0ग0) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित्।
9– सर्व तहसीलदार, जिला बलरामपुर–रामानुजगंज (छ0ग0) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
10– सर्व नगर पालिका परिषद् जिला बलरामपुर–रा.गंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित्।
11– सहायक संचालक, जनसम्पर्क विभाग, बलरामपुर को सूचनार्थ एवं दैनिक समाचार–पत्रों में प्रकाशनार्थ।

कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी
बलरामपुर–रामानुजगंज,(छ0ग0)